हरियाणा सरकार

वन विभाग

आदेश

दिनांक 4 जनवरी, 2013

संख्या का०आ० 8/पं०अ० 2/1900/धा० 4/2013.—चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की सम्यक जांच के बाद सन्तुष्टि हो गई है, कि पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम 2) के उपबन्धों को लागू करने के प्रयोजन के लिए इसमें, इसके बाद, दिए गए विनियम, निबन्धन तथा प्रतिषेध आवश्यक हैं;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में, विशेष रूप से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यों का प्रतिषेध करते हैं जो हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 81/पं०अ० 2/1900/धा० 3/2012, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित की गई है।

(क) भूमि में अधिकार धारकों के वास्तविक घरेलू अथवा किसी प्रयोजन के सिवाये सफेदा, पापुलर, बकैन, बॉस, तूत, अमरूद तथा अलैन्थस को छोड़कर वृक्ष अथवा इमारती लकड़ी काटना अथवा फूल, फल तथा मधु से भिन्न वन की किसी उपज का संग्रहण अथवा हटाना अथवा किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत लाना, परन्तु भू-स्वामी सम्बद्ध मण्डल अधिकारी से ऐसा करने से पहले अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के बाद वृक्षों अथवा इमारती लकड़ी को बेच सकते हैं। ऐसे अनुज्ञा-पत्र में किसी बिक्री के लिए ऐसी शर्तें विहित होंगी जो वन संरक्षण के हित में समय-समय पर आवश्यक प्रतीत हों। राज्य के किसान अपनी इच्छा से अपने खैर के वृक्षों को किसी व्यक्ति/एजैन्सी/हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को बेचने के लिए स्वतन्त्र होंगे ताकि उन्हें उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके बशर्ते कि भू-स्वामी सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी से ऐसा करने के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के बाद खैर के वृक्ष बेच सकते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	गांव
1	2	3
पंचकूला	कालका पंचकूला	चण्डीगढ़, पंचकूला, रामगढ़, रायपुर रानी, नारायणगढ़, साढौरा, बिलासपुर, छछरौली, दादूपुर और जमुना नदी पर नाथनपुर तथा लकौर गांव के नजदीक से पहुंचने के लिए जोड़ने वाली पक्की तथा कच्ची सड़क के उत्तरी तरफ पड़ने वाले क्षेत्र।
अम्बाला	नारायणगढ़	
यमुनानगर	जगाधरी छछरौली	
फरीदाबाद	बल्लबगढ़ फरीदाबाद	देहली-बल्लबगढ, सड़क के पश्चिमी की तरफ पड़ने वाले क्षेत्र तथा उत्तर की ओर बल्लबगढ़-सोहना रोड।
मेवात	नूँह	पश्चिमी की ओर देहली- अलवर सड़क के साथ लगते क्षेत्र।
	फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
गुड़गांव	गुडगांव	गुड़गांव तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
	सोहना	सोहना तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
	पटौदी	पटौदी तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
महेन्द्रगढ़	नारनौल	नारनौल तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़ तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
रेवाड़ी	रेवाड़ी	रेवाड़ी तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
	बावल	बावल तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
	कोस़ली	कोसली तहसील की सभी राजस्व सम्पदा।
भिवानी	दादरी भिवानी लोहारू	पश्चिमी की ओर दादरी, भिवानी, तोशाम तथा हिसार सड़क के क्षेत्र।

कृष्ण मोहन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।